भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *224

17.03.2025 को उत्तर के लिए

असम में घटता वन क्षेत्र

***224. श्री गौरव गोगोई :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के हाल के निर्देश की जानकारी है जिसमें असम में घटते वन क्षेत्र के संबंध में केंद्र से जवाब मांगा गया है;

(ख) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में वनों की कटाई और वन क्षरण की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) असम में विशेषकर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त राज्य में वनों की कटाई के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम में समाप्त हुए वन क्षेत्र को बहाल करने तथा पर्यावरण की और क्षति को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"असम में घटता वन क्षेत्र" के संबंध में श्री गौरव गोगोई द्वारा दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *224 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने असम राज्य से संबंधित मूल आवेदन (ओ.ए.) संख्या 20/2025 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पक्षकार बनाया है।

(ख) से (ङ): वन एवं वृक्ष संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। देश में वन एवं वृक्ष संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कानूनी तंत्र हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; तथा राज्य वन अधिनियम और नियम शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कानून के उपबंधों के अनुसार वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को परामर्शिकाएं जारी करता है। इसके अलावा, वनों की सुरक्षा के लिए, राज्य वन विभागों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा के साथ-साथ खंभे लगाना और वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित गश्त लगाना शामिल है। यह वनों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ-साथ वनीकरण के प्रयासों के संबंध में की गई व्यापक कार्रवाई का ही परिणाम है कि आईएसएफआर 2013 से आईएसएफआर 2023 के बीच पिछले एक दशक में भारत का वन आवरण 6,98,712.36 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर हो गया है और वृक्ष आवरण 91,267 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार ने वनरोपण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत निधियां उपलब्ध कराई हैं, जिसमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, नगर वन योजना (एनवीवाई) शामिल हैं। इन निधियां द्वारा वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर वनरोपण के माध्यम से पारिस्थितिकी बहाली, वन भू-परिदृश्य बहाली, पर्यावास में सुधार, मृदा और जल संरक्षण उपायों तथा संरक्षण आदि के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान की जाती है।

असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और बहाली के माध्यम से पारिस्थितिकी बहाली, पर्यावरणीय क्षति को रोकने और वन क्षरण की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

(i) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना, नामत: असम वन एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना (एपीएफबीसी) चरण-II के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 से 12,032 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, काम्पा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-2021 से 10,759.145 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

(iii) आरक्षित वनों और वन्य जीव अभयारण्यों में 10,000 हेक्टेयर से अधिक के वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

(iv) असम वन सुरक्षा बल (एएफपीएफ) की एक नई बटालियन का गठन करके सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है और वर्ष 2023 में लगभग 2000 वन फ्रन्टलाइन स्टॉफ की भर्ती की गई है।

(v) 'अमृत वृक्ष आंदोलन' नामक विशाल वृक्षारोपण अभियान में, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के दौरान वन क्षेत्रों के बाहर कुल 4.31 करोड़ पौधे लगाए गए।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 वनों को आरक्षित श्रेणी से हटाने या पुनर्वनीकरण के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि के गैर-वानिकी उपयोग को प्रतिबंधित करता है, इसलिए वन क्षेत्र में वनों की कटाई एक अनुमेय कार्यकलाप नहीं है।

इसके अतिरिक्त, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करते समय, उचित उपशमन उपायों के साथ संरक्षण और विकास के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाता है, जिनमें प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान, मृदा और नमी संरक्षण कार्य, तथा स्थल-विशिष्ट संरक्षण योजना शामिल हैं।

असम सरकार ने यह भी सूचित किया है कि असम के सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से अनुरक्षित किया जाता है। आठ संरक्षित क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।

*****